

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3111

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की स्थिति

†3111. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक किस सीमा तक सड़क विकास का कार्य पूरा किया गया है;
- (ख) चारधाम तीर्थ स्थलों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के संबंध में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है; और
- (ग) चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां आई हैं और इसे समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) चारधाम महामार्ग विकास परियोजना में चारधाम को जोड़ने वाले 5 मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का सुधार शामिल है, जिसमें कैलाश-मानसरोवर यात्रा के टनकपुर से पिथौरागढ़ खंड सहित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 825 किमी है। 825 किमी लंबाई में से 640 किमी लंबाई पूरी हो चुकी है।

अगस्त 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत, विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, केंद्रीय मृदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान आदि के प्रतिनिधियों से युक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य संपूर्ण हिमालयी घाटियों पर चारधाम परियोजनाओं के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करना और पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में दिशा-निर्देश देना था। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एचपीसी की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों, विशेष रूप से रणनीतिक सड़कों, जैसे ऋषिकेश-माना, ऋषिकेश-गंगोत्री और टनकपुर-पिथौरागढ़ के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक "पर्यवेक्षण समिति" भी गठित करने का निदेश दिया है। समितियाँ नियमित रूप से मिलती हैं और उनके सुझावों को कार्यों के निष्पादन के दौरान लागू किया जाता है।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चिंताएं, भूमि अधिग्रहण (एलए) में देरी और वन मंजूरी प्राप्त करने में कठिनाई, कठिन हिमालयी क्षेत्र, बार-बार भूस्खलन और प्रतिकूल मौसम की स्थिति शामिल है।

सरकार ने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे:

- i. भूमि अधिग्रहण (एलए) और वन मंजूरी (एफसी) के लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ समन्वय
- ii. बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ठेकेदारों और राज्य प्राधिकरणों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें।
- iii. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए)।
- iv. उत्तराखंड राज्य के लिए विशेष भूस्खलन उपचार उपायों के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- v. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों के लिए "लागत प्रभावी दीर्घकालिक उपचारात्मक उपायों" के कार्यान्वयन के लिए नवंबर, 2024 में निर्णय लिया गया था।
- vi. नवंबर, 2025 में नीतिगत पहल के माध्यम से "पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त संवर्धित और व्यवस्थित उपचारात्मक उपाय और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण (ईपीसी) दस्तावेज़ के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में संशोधन" के माध्यम से निर्णय लिया गया जिसका उद्देश्य:

क. डीपीआर की गुणवत्ता में सुधार करना;

ख. पहाड़ी ढलान संरक्षण उपायों के पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना;

ग. पहाड़ी इलाकों में निर्माण पद्धति में सुधार करना;

घ. सबसे पहले रॉय हिल्ली/पर्वतीय क्षेत्र में एनएच के लिए सड़क निर्माण कार्यों के बाद स्लोप कटिंग और स्थिरीकरण कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

इ. संभावित भूस्खलन के लिए निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली।

- vii. "राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए रॉकफॉल शमन उपायों के लिए अनिवार्य प्रमाणन और गुणवत्ता आश्वासन सहित विशिष्टता" पर नीतिगत पहलों के माध्यम से जुलाई, 2026 में निर्णय लिया गया, जिसमें गुणवत्ता मानकों और ठेकेदारों और फील्ड कार्यालयों के दायित्वों के अनुपालन

को सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक जांच और संतुलन पर व्यापक रूप से विस्तार किया गया है।

- viii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर भू-जोखिम कम करने के उपायों के तकनीकी सहयोग के लिए रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ix. सुरंगों के लिए भूवैज्ञानिक जांच और भू-खतरा अध्ययन के लिए डेटा साझा करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- x. इंस्ट्रुमेंटेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग का उपयोग करके पहाड़ियों की अस्थिरता के आकलन के लिए दिशानिर्देशों के विकास के लिए (आईआईटी) रुड़की के माध्यम से अनुसंधान योजना शुरू की गई है।
